न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान चिड़िया देवी बनाम शिशपाल आदि

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट क्रमांक 418 सन 2022

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
14.12.2022	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। अपीलाण्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि विवादित भूमि सायल एवं गैरसायलान के मुस्तरका कब्जा काश्त की भूमि है। इसके बावजूद भी विशेष हिस्सा के बेचान पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कानूनी भूल की" विशेष हिस्सा का बेचान कानूनन नहीं होता है केवल मात्र भ्रमित करने वाला आदेश पारित कियाहै। विवादित भूमि मुस्तका खाता की भूमि होने के कारण एक खातेदार कास्तकार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को सुने बिना पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट को जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही यह अपील पेश कर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एव अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2022 को रेस्पोडेण्ट के सं0 1 के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 को दर्ज करते हुए एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जिसमें प्रश्नगत 17 एनटीआर व 19 एनटीआर एवं 23 एनटीआर की प्रश्नगत भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान आगामी पेशी तक नही किये जाने के आदेश दिये हैं। उपरोक्त आदेश एकपक्षीय दिया गया है। जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जबकि अपीलाण्ट एक सह खतोदार काश्तकार। स्थगन आदेश जारी होने के बाद 17.06.2022, 22.07.2022 एव 03.08.2022 तारीख पेशी दी जा चुका की है। लेकिन प्रकरण का उभयपक्षों को सुनकर अंतिम निस्तारण नहीं किया जा रहा है। चूंकि अपीलाण्ट एक सह खातेदार काश्तकार है, अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहने से उसके हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का प्रकरण संख्या 72/2022 अनवान शिशपाल बनाम चिड़िया देवी आदि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.05.2022 निरस्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण का 1 माह में निस्तारण करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। 14.12.22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़